न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 56/2020(2020/00308)

अनवान : –

1. मदन लाल पुत्र महीपत जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–श्री राजेन्द्र गोयल वकील –प्रार्थी
राजपैरोकार –राज0 सरकार

निर्णय दिनांक : 20/10/2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा रोही मौजा ग्राम कणाऊ के खाता सं0 205/208 के खसरा नम्बर 674/501 की 0.632 हैक्टेयर बारानी, खसरा नम्बर 577/2 की 2.289 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 2.921 हैक्टेयर बारानी प्रार्थी की खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम विरासतन दर्ज करते समय प्रार्थी का सही नाम मदन लाल के स्थान पर मदन पुत्र महीपत दर्ज हो गया।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम मदन लाल की बजाये मदन दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। प्रार्थी के पिता महीपत के मदन नामक कोई लड़का नहीं है जबकि प्रार्थी के पैन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र व राशनकार्ड की अंकतालिका में भी प्रार्थी का नाम मदन लाल पुत्र महीपत दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत कणाऊ के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में मदन लाल की बजाये मदन दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता और उसका बेहतर उपयोग, उपभोग नहीं कर सकता। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम मदन पुत्र महीपत के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम मदन लाल पुत्र महीपत दर्ज करा पाने का मजाज कानूनी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:32:46 IST
Reason: SelfAttested

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम मदन लाल के स्थान पर मदन दर्ज होने से प्रार्थी राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)

से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं को ऑन लाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी का नाम मदन दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंजित होना पड़ता है। प्रार्थी के ग्राम कणाऊ में खाता संख्या 205/208 में प्रार्थी का नाम मदन लाल दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा जिनके तथ्य अपनी जानकारी में होना बताया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने रोही मौजा ग्राम कणाऊ के खाता सं0 205/208 के खसरा नम्बर 674/501 की 0.632 हैक्टेयर बारानी, खसरा नम्बर 577/2 की 2.289 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 2.921 हैक्टेयर बारानी के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि '' **प्रार्थी का नाम विरासतन दर्ज करते समय प्रार्थी का सही नाम मदन लाल के स्थान पर मदन दर्ज हो गया।** '' जिसके समर्थन में प्रार्थी ने अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र व राशनकार्ड पेश किये है जिनमें प्रार्थी का नाम मदन लाल अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा ग्राम कणाऊ के खाता सं0 205/208 के खसरा नम्बर 674/501 की 0.632 हैक्टेयर बारानी, खसरा नम्बर 577/2 की 2.289 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 2.921 हैक्टेयर बारानी में प्रार्थी का नाम **"मदन के स्थान पर मदन लाल"** दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच मदन पुत्र महीपत के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था से मदन पुत्र महीपत के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए मदन लाल ही प्रभावी माना जायेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/10/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:32:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(जयसिंह)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ